MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(24) ग्राविवि/ग्रुप–5/लेखा/PMAY-G/प्र.व्यय./2016–17 दिनांक 10 जनवरी, 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र) समस्त,
राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु आवंटित लक्ष्य अनुसार अभियान के रूप में लाभार्थियों के पंजीकरण, स्वीकृति जारी कराने बाबत्।
प्रसंग :– समसंख्यक पत्र दिनांक 21 जून, 2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण/इन्दिरा आवास योजना के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर योजना के सफल संचालन, गुणवत्ता, पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु योजना के दिशा–निर्देशानुसार प्रशासनिक मद में अनुमत राशि द्वारा अनुमत मदों के अधीन आवंटित लक्ष्यों के क्रम में आवश्यकतानुसार किराये के वाहन तथा आवाससॉफ्ट हेतु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखने की स्वीकृति वर्णित शर्तों के अधीन दी गई है। इसी क्रम में विभागीय पत्र दिनांक 02 जनवरी, 2017 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु (वर्ष 2017–18 के प्रस्तावित लक्ष्यों सहित) संशोधित लक्ष्य आवंटित कर लक्ष्यानुसार अभियान के रूप में लाभार्थियों के पंजीकरण, स्वीकृति जारी कराने बाबत निर्देशित किया गया है।

इन्दिरा आवास योजना में वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक जारी 4.86 लाख आवास स्वीकृतियों के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में ही 4.31 लाख आवास का लक्ष्य आवंटित है अर्थात् गत पांच वर्षों के लक्ष्यों के लगभग स्वीकृतियां एक वर्ष में ही जारी होनी है। उक्तानुसार लक्ष्यों में बढोतरी एवं समय की कमी एवं ऑन–लाईन पंजीकरण, स्वीकृति एवं किश्त हस्तान्तरण की प्रक्रिया के मध्यनजर जिलों को ग्रामपंचायत स्तर पर पंजीकरण, स्वीकृति एवं किश्त हस्तान्तरण कार्य हेतु प्रासंगिक आदेश की शर्तों के अध्याधीन ग्राम पंचायत स्तर पर आवंटित लक्ष्यों के परिपेक्ष्य में आवश्यकता अनुसार जॉब आउट सोंर्सिग बेसिस पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखे जाने की स्वीकृति अधिकतम एक माह हेतु निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :–

1. वर्ष 2016–17 में 100 से अधिक आवास के लक्ष्य वाली ग्राम पंचायतों में आवश्यकता होने पर अधिकतम एक माह हेतु जॉब आउट सोंर्सिग बेसिस पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर लगाये जावें।
2. यदि ऐसी ग्राम पंचायतों में इन्टरनेट कनेक्शन की सुविधा नहीं हो तो आवश्यक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर क्लस्टर ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजित किया जावें।

3. 4/5 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनाकर योजना के दिशा–निर्देशानुसार आवासों का क्लस्टर टैग अधिकारी (जेईएन/जेटीए/पीईओ) बनाया जाकर आवाससॉफ्ट पर स्वीकृति के साथ ही लाभार्थी को टैग अधिकारी का नाम व मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना है। इस क्रम में क्लस्टर पंचायतों को कुल आवंटित लक्ष्य 300 आवास से अधिक होने पर क्लस्टर पंचायत पर क्लस्टर के अधीन सभी पंचायतों के लाभार्थियों का पंजीकरण कराने के लिए एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर क्लस्टर ग्राम पंचायत स्तर पर टैग अधिकारी के अधीन लगाया जा सकेगा।
4. इन्दिरा आवास योजना के कियान्वयन में सहयोग के लिए राजीविका के साथ सम्पादित एमओयू की शर्तों के अधीन प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों के पंजीकरण, किश्त हस्तान्तरण आदि बाबत् सहयोग की सम्भावनाओं की समीक्षा कर कार्यवाही की जावें।

उल्लेखनीय है कि आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत DoIT के अधीन SSDG के तहत नागरिक सेवा केन्द्र/ई–मित्र पर राशि रू. 30 का भुगतान कर आवेदन पत्र/किश्त आवेदन पत्र आदि ऑन–लाईन कराने हेतु विभागीय निर्देश लागू है (प्रति संलग्न है)। उक्त निर्देशों के क्रम में भी नागरिक सेवा केन्द्र/ई–मित्र केन्द्रों के सहयोग से आवाससॉफ्ट पर ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकरण का कार्य निर्देशानुसार कराया जा सकता है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत/पंचायत समितिवार आवंटित लक्ष्यों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार पंजीकरण का कार्य अभियान के रूप में सम्पादित कराने की व्यवस्था हेतु योजना के प्रशासनिक मद से जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार ई–मित्र/सीएससी सेन्टर के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायत/क्लस्टर पंचायत स्तर पर जॉब आउट सोंर्सिंग बेसिस पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर लगाकर आवंटित लक्ष्यानुसार पंजीयन, स्वीकृति कार्य दिनांक 25.01.2017 तक सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

10/1/17

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंरावि।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
7. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।
8. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), ग्रावि को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
9. जिला कलक्टर, समस्त।
10. सीओएम, राजीविका एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् डूंगरपुर को पूर्व में निष्पादित एमओयू के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन बाबत्।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

10/1/17

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(24) ग्रावि/ग्रुप–5/लेखा/PMAY/प्रशा.व्यय/2016–17 जयपुर, दिनांक 21 जून, 2016

समस्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत प्रशासनिक मद में से किराये के वाहन एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की सेवाएं लेने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण/इन्दिरा आवास योजना के जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सफल संचालन, आवासों की गुणवत्ता, पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु योजना के प्रशासनिक मद में अनुमत राशि के विरूद्ध अनुमत मदों में से आवश्यकतानुसार किराये के वाहन तथा आवाससॉफ्ट हेतु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन है :–

1. जिला/ब्लॉक द्वारा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण/इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत निर्धारित प्रशासनिक व्यय की सीमा के अन्तर्गत व्यय किया जावेगा।
2. भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत जारी केन्द्रीयांश के विरूद्ध मैचिंग राज्यांश राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अन्य कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जावेगी।
3. जिला परिषद एवं ब्लॉक द्वारा उक्त सेवाएं लेते समय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
4. जिला परिषद/ब्लॉक द्वारा प्रशासनिक व्यय मद के अन्तर्गत किसी प्रकार के स्थाई दायित्व का सृजन नहीं किया जावेगा।
5. अस्थाई संविदा कार्मिकों की सेवाएं वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से प्राप्त की जावें।
6. किराये के वाहन वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया एवं निर्धारित दरों के आधार पर प्राप्त की जावें।
7. किराये के वाहन एवं अस्थाई संविदा कार्मिकों पर किये गये व्यय की प्रविष्ठि आवाससॉफ्ट पर आवश्यक रूप से की जावें।
8. किराये के वाहनों का उपयोग योजना के निरीक्षण हेतु सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ही किया जावें।

9. किराये के वाहनों एवं अस्थाई संविदा कार्मिकों को निर्धारण जिला/ब्लॉक अपने स्तर पर उनको आवंटित लक्ष्यों के अनुसार किया जावें।
10. भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण/इन्दिरा आवास योजना की मार्ग–दर्शिका की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें।

उपरोक्त के अलावा अन्य व्यय भी समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार एवं योजना के निर्देशानुसार शत प्रतिशत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जावें ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत गुणवत्ता पूर्ण आवास समय पर लाभार्थियों द्वारा तैयार किये जा सकें।

21/6/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाह हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3 महालेखाकार, राजस्थान।
4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
5 निजी सचिव, शासन सचिव ग्रावि।
6 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
7 निदेशक, (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
9 समस्त, विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
10 सहायक लेखाधिकारी (प्रशासनिक व्यय), ग्रामीण विकास।
11 रक्षित पत्रावली।

21/6/16

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

अत्यावश्यक

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (74)/ग्राविवि/ग्रुप–5/आईएवाई/SSDJ/2013–14 जयपुर, दिनांकः 23 जुलाई, 2014

1. **समस्त जिला कलक्टर,**
2. **समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
   जिला परिषद (ग्राविप्र),
   राजस्थान।

विषय :– इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत एसएसडीजी सेवा के सम्बन्ध में।
संदर्भ :– RISL Letter no. F 4.3 (96)/RISL/Tech/13/2883 Dated 19-06-2014.

ग्रामीण आवासीय योजनाओं यथा इन्दिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना व अन्य हेतु एसएसडीजी की सेवाऐं दिनांक 20 जून, 2014 से ई–मित्र/सीएससी के माध्यम से शुरू की जा चूकी है। वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग की आवास योजनाओं की सेवाओं को इस पोर्टल के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जोडा गया है। यह सेवाऐं इस पोर्टल के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध सीएससी/ई–मित्र किस्योक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। आवास योजनाओं के कम में स्वीकृति एवं भुगतान संबंधी सेवाऐं लाभार्थी इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदन सम्बन्धित पंचायत समिति/जिला परिषद को इलेक्ट्रोनिक (ई–मेल/एसएमएस) माध्यम से भेजे जावेगे। सम्बन्धित अधिकारी अपने स्तर से जॉच कर लाभार्थी का आवास हेतु पंजीयन व स्वीकृति, द्वितीय किश्त हस्तान्तरित करेंगे व तृतीय किश्त हस्तान्तरित करेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी को सूचित भी किया जायेगा। इस सम्बन्ध में 12 जून से 17 जून, 2014 तक समस्त जिला एवं ब्लॉक के अधिकारियों का प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया था।

इस वैकल्पिक प्रक्रिया के माध्यम से आवास लाभार्थियों को पूर्णतः स्वैच्छिक रूप से आवास स्वीकृति एवं द्वितीय व तृतीय किश्त भुगतान की स्थिति प्राप्त करना सुविधाजनक होगा। लाभार्थी द्वारा इस सेवा हेतु शुल्क रू 30/– निर्धारित किया गया है, जिसे लाभार्थी को पूर्णतः स्वैच्छिक रूप से वहन करना होगा।

अतः अधीनस्थ को निर्देशित करावे की एसएसडीजी के माध्यम से ऑन लाईन भरे जाने वाले आवेदनों को एसएसडीजी पोर्टल से डाउनलोड कर आवश्यक कार्यवाही करे। एसएसडीजी पोर्टल की यूजर आईडी एवं पासवर्ड पूर्व में समस्त जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को उपलब्ध करा दिये गये हैं। एसएसडीजी के सम्बन्ध में किसी भी स्तर की कठिनाई होने पर श्री मनीष कुमार मटौलिया प्रौग्रामर से सम्पर्क कर सकते हैं, श्री मटौलिया के फोन नम्बर 8426991706 एवं ई–मेल आई डी mkmatolia.doit@rajasthan.gov.in है। इसके अतिरिक्त एसएसडीजी के 24x7 हेल्पलाईन सुविधा भी इस बाबत उपलब्ध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

23/7/14
(संजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. समस्त जिला प्रभारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एण्ड मू), ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. श्री आर.के.शर्मा संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे पोर्टल

राज्य में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपक्रम राजकोप द्वारा स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे पोर्टल प्रारम्भ किया गया है।

वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग की आवास योजनाओं की सेवाओं को इस पोर्टल के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जोडा गया है। यह सेवाऐं इस पोर्टल के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध सीएससी/ई–मित्र किस्योक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। आवास योजना की निम्न तीन सेवाऐं लाभार्थी इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

1. आवास योजना हेतु पंजीयन/स्वीकृति।
2. द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु आवेदन।
3. तृतीय किश्त प्राप्त करने हेतु आवेदन।

इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदन सम्बन्धित पंचायत समिति/जिला परिषद को इलेक्ट्रोनिक (ई–मेल/एसएमएस) माध्यम से भेजे जावेगे। सम्बन्धित अधिकारी अपने स्तर से जॉच कर लाभार्थी का आवास हेतु पंजीयन व स्वीकृति, द्वितीय किश्त हस्तान्तरित करेंगे व तृतीय किश्त हस्तान्तरित करेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी को सूचित भी किया जायेगा।

सेवा के रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक को एक टोकन नम्बर दिया जावेगा जिसके माध्यम से लाभार्थी अपनी सेवा के सम्बन्ध में अपनी प्रगति चाहे तो खुद भी आंकलन कर सकता है। आवास योजना की सेवा हेतु प्रभार रू 30/– लाभार्थी को ई–मित्र/सीएससी को जमा कराने होंगे आवेदन के साथ लाभार्थी को फोटो जमीन सम्बन्धित कागजात व बैंक स्टेटमेन्ट आदि ई–मित्र/सीएससी कियोस्क को उपलब्ध कराने होंगे। लाभार्थी वर्तमान की तरह ही ग्राम सेवक के माध्यम से निःशुल्क उपरोक्त तीनों सेवाओं को प्राप्त कर सकेगा। यदि लाभार्थी किसी कारणवश इन सेवाओं को ग्राम सेवक के माध्यम से लेने में कठिनाई महसूस कर रहा हो तो वह एसएसडीजी की सेवाएं ई–मित्र/सीएससी के माध्यम से विकल्प के रूप में ले सकता है। विकल्प के रूप में लेने पर ही 30 रूपये का प्रभार लाभार्थी को वहन करना होगा। इसके अतिरिक्त एसएसडीजी की सेवाएं लाभार्थी वेब–साईट के माध्यम से निःशुल्क भी ले सकता है।

एसएसडीजी पोर्टल की यूजर आईडी एवं पासवर्ड पूर्व में समस्त जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों को उपलब्ध करा दिये गये हैं। एसएसडीजी के सम्बन्ध में किसी भी स्तर की कठिनाई होने पर श्री मनीष कुमार मटौलिया प्रौग्रामर से सम्पर्क कर सकते हैं, श्री मटौलिया के फोन नम्बर 8426991706 एवं ई–मेल आईडी mkmatolia.doit@rajasthan.gov.in है। इसके अतिरिक्त एसएसडीजी के 24x7 हेल्पलाईन सुविधा भी इस बाबत उपलब्ध है।